

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 10.12.2018

कमांक प.1(1)चिस्या/2/2018

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारी जो स्वेच्छा से लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं, के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम-17 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की शर्त पर इन्हें नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि से कर्तव्य पर माने जाने अनुमति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी व पद	पदस्थापन स्थान	विवरण
1	डा. सुशील सोनी, चिकित्सा अधिकारी	एम. बी. एस. चिकित्सालय, कोटा	रिक्त पद पर
2	डॉ. मेघा सुल्तानिया, चिकित्सा अधिकारी (नेत्र)	जिला चिकित्सालय, जालौर	रिक्त पद पर
3	डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय, चिकित्सा अधिकारी (कार्डियोलोजी)	जिला चिकित्सालय, भीलवाडा	रिक्त पद पर
4	डॉ. राधे सांखला, चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलॉजिस्ट)	जिला चिकित्सालय, पावटा, जोधपुर	रिक्त पद पर
5	डॉ. योगेश जोशी, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गडरा रोड, बाडमेर	रिक्त पद पर
6	डॉ. इमरान खान, चिकित्सा अधिकारी (ईएनटी)	जिला चिकित्सालय, बांसवाडा	रिक्त पद पर
7	डॉ. जगदीश प्रसाद, चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलॉजी)	जिला चिकित्सालय, भीतवाडा	रिक्त पद पर
8	डॉ. धनश्याम अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा, करौली	रिक्त पद पर
9	डॉ. हितेश कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी पीजी. (डीएमआरडी)	जिला चिकित्सालय, टोंक	रिक्त पद पर
10	डॉ. देवदत्त शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (फिजियोलोजी)	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	रिक्त पद पर
11	डा. बालूदास नाहर, चिकित्सा अधिकारी (डीजीओ)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी, पाली	रिक्त पद पर
12	डा. नीरजा वर्मा, चिकित्सा अधिकारी	आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांतलखेडी, कोटा	रिक्त पद पर

उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की आई. डी. 5054/पीएस/जीएडी/2018 दिनांक 20.11.2018, 5105/27.11.2018, 5188/04.12.2018 एवं 5086/26.11.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में इस विभाग को भिजवावें।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जौन राजस्थान
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव

-: 2 : -

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : ई/चिअ/एच-521/2019/1463 दिनांक : 16/01/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल
2. सम्बंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित चिकित्सको के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में निदेशालय को भिजवाये ।
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित चिकित्सको के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में निदेशालय को भिजवाये
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/डीपीसी/सीबी अनुभाग मुख्यालय ।
6. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी/राजकीय चिकित्सालय /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी को द्वारा प्रशासनिक ।
8. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय बैबसाईट एवं सम्बन्धित अधिकारी की मेल आईडी पर अपलोड करावें।
9. रक्षित/निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।